(15)

संख्या : 576 /I/2011-03(8)-25/2009

प्रेषक :

डा0 उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

देहरादून : दिनांक, 28 मार्च, 2011

ऊर्जा अनुभाग–1

विषय : **100 किलोवॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं एवं पुनर्नवीकरण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को वैकल्पिक ऊर्जा नीति, 2008 से विलग करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से एवं सामुदायिक सहभागिता आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 263/(2)/2008-04-(8)/96/2001 दि0 29 जनवरी, 2008 द्वारा निर्गत (25 मे0वॉ0 क्षमता तक की) राज्य वैकल्पिक ऊर्जा नीति–2008 में से 100 कि0वा0 क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं एवम् पुनर्नवीकरण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को वैकल्पिक ऊर्जा नीति–2008 से निम्नानुसार विलग करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम0एन0आर0ई0), भारत सरकार द्वारा 100 कि0वा0 क्षमता तक की माईक्रो हाईडिल परियोजनाओं के निर्माण पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। अतः इन परियोजनाओं का निर्माण अनुमन्य श्रेणी के लाभार्थियों के माध्यम से कराए जाने तथा अधिकाधिक केन्द्रांश का उपयोग कराये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी वैकल्पिक ऊर्जा नीति–2008 के अन्तर्गत परियोजनाओं के आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया से 100 कि0वा0 क्षमता तक की माईक्रो हाईडिल परियोजनाओं को विलग करते हुए इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....

2. दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के स्थानीय उपयोग हेतु राज्य में पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं, कॉपरेटिव सोसाईटियों, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी 100 कि0वा0 क्षमता तक की परियोजनाओं का निर्माण कराया जाय।

3. उपरोक्तानुसार 100 कि0वा0 क्षमता तक की माईक्रो हाईडिल परियोजनाओं के निर्माण हेतु परियोजनाओं का अनुमन्य श्रेणी के विकासकर्ताओं को आवंटन, प्रस्तावों का परीक्षण, केन्द्रांश स्वीकृत कराने, डी0पी0आर0 अनुमोदन तथा निर्माण पर्यवेक्षण आदि कार्यों के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) नोडल एजेन्सी होगी।

4. उपरोक्तानुसार ही अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे बॉयो मॉस, कृषि अपशिष्ट, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नगरीय अपशिष्ट, जियोथर्मल एवम् सह–उत्पादन को भी राज्य सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा नीति–2008 से पृथक करते हुये समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय। इस हेतु भी उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) नोडल एजेन्सी होगी।

5. प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन सक्षम समिति (अधिसूचना संख्या 263/(2)/2008-04-(8)/96/2001 दि0 29 जनवरी, 2008 द्वारा गठित) की संस्तुति के उपरान्त मा0 विभागीय मन्त्री के अनुमोदनोपरान्त उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण नोडल एजेन्सी द्वारा प्रस्तावों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार को भेजा जायेगा।

6. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि इस श्रेणी की किसी भी परियोजना को वह सरकार से सम्बन्धित किसी ऐजेन्सी से क्रियान्वित कराये।

उक्त आदेश में निर्धारित नियमों में संशोधन/शिथिलता/स्पष्टीकरण के समस्त अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होंगे।

भवदीय,

(डा0 उमाकांत पंवार)
सचिव

कमशः.....

संख्या :– 576 /I/2011-03(8)-25/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, आपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (हाइडिल), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
4. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, 5वां तल, कोर–3, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इन्स्टिट्यूशन एरिया, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल, देहरादून।
10. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव